

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला-जयपुर (राज0)

क्रमांक: 187 /स्था0

दिनांक: 15 अप्रैल, 2020

-: : आ दे श : :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 08/पी.आई. 2020 दिनांक 15.03.2020 एवं परिपत्र संख्या 14/P.I./2020 Date 14.04.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों पर अवस्थित न्यायालयों पर COVID-19 की प्रभावी रोकथाम, संक्रमण एवं फैलाव को रोकने एवं बचाव हेतु उचित कदम उठाने हेतु मुख्यालयवार निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारीगण की कमेटी गठित की जाती है।

क्र.सं.	मुख्यालय	पदनाम
01	जयपुर जिला	01- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, जयपुर 03- कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला
02	सांभरलेक	01- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, सांभरलेक 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय सांभरलेक
03	कोटपूतली	01- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-01, कोटपूतली 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, कोटपूतली 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय कोटपूतली
04	शाहपुरा	01- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, शाहपुरा 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय शाहपुरा
05	चौमू	01- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमू 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, चौमू 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय चौमू
06	दूदू	01- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, दूदू 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय दूदू
07	किशनगढ रेनवाल	01- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ रेनवाल 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, किशनगढ रेनवाल 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय किशनगढ रेनवाल
08	विराटनगर	01- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, विराटनगर 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय विराटनगर
09	फागी	01- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, फागी 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय फागी
10	जमवारागढ	01- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारागढ 02- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, जमवारागढ 03- सहायक नाजिर, मुख्यालय जमवारागढ


15-4-2020

उक्त समिति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र में दिए गए

दिशा एवं सेशन न्यायाधीश निम्न बिंदुओं दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करेंगी एवं प्रतिदिन की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत कराया जावे :-

जयपुर जिला, जयपुर

- i. Hand sanitizers shall be provided in all court rooms and offices for use of Advocates, litigants and court staff.
- ii. Court staff who deal with files and come in frequent contact with advocates, litigants and visitors shall be provided with masks and gloves for regular use during working hours.
- iii. The advocates are permitted to use masks in courts.
- iv. The advocates are exempted to wear coats till 03-05-2020.
- v. In all the court rooms and offices, toilets, door handles, chairs, tables, gates, railings and other things shall be disinfected regularly at least twice a day by mopping through 1 % hypochlorite and Benzoic Acid.
- vi. Court staff suffering from Cold/cough or sneezing are advised to take leave and follow the medical advise.
- vii. All canteens and shops selling food articles in the court premises shall remain closed till 03-05-2020. However, drinking water arrangements shall be duly ensured. One Photocopy shop in each court complex shall be kept open on every working day on rotational basis to be decided by concerned District Judge at District Hq. and Senior most Judicial officer on outlying Hqs. All preventive measures shall be strictly observed while maintaining social Distancing on these shops.
- viii. Director General of Police be requested to depute adequate number of police personnel at the entry gates of all court complexes to regulate the entry of visitors in consultation with District Judge/Presiding officer concerned till 03.05.2020.
- ix. The State Government has appointed District Collectors as Nodal Officers in each District for effective control over spread of Corona Virus. In Co-ordination with these Nodal Officers, para medical personnel be depolyed in all the court complexes for primary medical check up of the entrants of courts premises so that appropriate steps for suspected infectants may be timely taken up.
- x. The Advocates having chambers in Subordinate Courts are advised against attending their chambers as they would require to be closed due to lack of cleaning and conservancy services.



 15-4-2020
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 जयपुर जिला-जयपुर(राज0)

4939 404941
 क्रमांक:-----/स्था0

दिनांक: अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखाशाखा, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
02. समस्त अधीनस्थ, न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र।
03. न्यायालय प्रबंधक, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
04. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली।


 प्रशासनिक अधिकारी,
 जिला एवं सेशन न्यायालय,
 जयपुर जिला-जयपुर(राज0)